राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमाक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 608-640 दिनांक : 25/01/2023

जिला कलक्टर,
एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्य सचिव महोदया की समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 28 जनवरी 2023 के क्रम में।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 128881–29128 दिनांक 27.12.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रतिलिपी सलंग्न) के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत **स्थायी प्रकृति** के कार्यो हेतु प्रत्येक निगम / परिषद / पालिकाओं को निम्नलिखित कार्य के लक्ष्य निर्धारित किये गयें थे।

1. पार्को का पुनर्रूद्धार।
2. श्मशान / कब्रिस्तान का पुनर्रूद्धार।
3. बावड़ी एवं जलाशय का पुनर्रूद्धार।
4. पेंटिग (शहर की मुख्य सड़क की मीडियन या रोड़ साईड, दीवारों की हैरिटेज पेंटिग इत्यादि) संबंधी कार्य।
5. इंटरलॉकिग संबंधी कार्य।
6. खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनर्रूद्धार।

उक्त कार्यो के लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर दिनांक 01.01.2023 से मस्टरोल जारी कर कार्यो को प्रारम्भ करवायें जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त क्रम में लेख है कि माननीय मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 28.01.2023 को समीक्षात्मक बैठक में आपके जिले में **स्थायी प्रकृति** के कार्यो हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध जारी की गयी स्वीकृतियां एवं प्रारम्भ कराये गये कार्यो के क्रम में विशेष रूप से समीक्षा की जावेगी। अतः आपके द्वारा जिला स्तर पर संबंधित निकायों के स्थायी प्रकृति के स्वीकृत, प्रारम्भ करवाये गये कार्यो की समीक्षा करने का श्रम करावें

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 641 – 830 दिनांकः 25/01/2023

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर।
4. समस्त उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला कलक्टर के साथ समन्वयक कर बैठक आयोजित करावें।
5. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका राज.।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

—

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403 2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 /128881-29128 दिनांक: 27/12/2022

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
समस्त राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यो हेतु लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भः–विभागीय समसंख्यक कमांक 42723–947 दिनांक 31.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नानुसार स्थायी प्रकृति के कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर कियान्वयन हेतु समय–समय पर वीसी के द्वारा निर्देश दिये गये है। उक्त कम में निगम / परिषद् / पालिका में निम्नानुसार कार्यो को क्रियान्वयन कराये जाने हेतु लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि कार्यो की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अविलंब जारी की जाकर दिनांक 01.01.2023 से कार्यो हेतु मस्टररोल जारी करवाकर कार्यो को प्रारंभ किया जावे।

क. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद्	पालिका	
1	पार्को का पुनरूद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि कार्य
2	श्मशान / कब्रिस्तान का पुनरूद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 6	प्रत्येक में 3	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग बैंच, वृक्षारोपण, शेड मरम्मत, चबूतरा, पेयजल, शौचालय इत्यादि कार्य
3	बावडी एवं जलाशय का पुनरूद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	बावडी एवं जलाशय मरम्मत, गाद निकालना, आवश्यकतानुसार सीढ़ियों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण, सुरक्षा दीवार व अतिरिक्त जल की निकास हेतु प्रबंधन संबंधी कार्य
4	पेंटिंग (शहर की मुख्य सड़क की मीडियन या रोड साईड, दीवारों की हैरिटेज पेंटिंग इत्यादि) संबंधी कार्य।	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	मुख्य सड़क की मीडियन या रोड साईड एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की दीवारों की पेंटिंग एवं हैरिटेज पेंटिंग संबंधी कार्य

क. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद्	पालिका	
5	इंटरलॉकिंग संबंधी कार्य	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 2	मुख्य सड़क पर जहां पानी का भराव हो एवं आवश्यकतानुरूप इंटरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण एवं सड़कों के दोनों किनारों पर एक–एक मीटर चौड़ाई में इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाना
6	खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनर्रूद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रेक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि एवं संबंधी कार्य

पूर्व में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 23.05.2022 में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात 25:75 निर्धारित रखा गया है परन्तु निकाय स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों को सम्मलित करते हुए कुल अनुमत लागत (As a Whole) का श्रम व सामग्री अनुपात 75: 25 प्रतिशत ही संधारित किया जायेगा।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 129123 – 171 दिनांकः 27/12/2022
प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
3. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशापी अभियंता, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान को उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने के कम में।
5. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव